0755-2775768

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/A22P0203/ /2023, भोपाल, दिनाँक /08/2023

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए आर.के.डी.एफ. यूनीवर्सिटी के द्वारा संचालित सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनीवर्सिटी को भोपाल जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2022–2023 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHO.)	POST GRADUATE	05
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (OBST.& GYNAEC.)	POST GRADUATE	05
03	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
05	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
07	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
08	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
09	PHARMACY (HOMEOPATHY)	DIPLOMA	50
10	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश :–

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर, परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा । पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 19 सितम्बर, 2023 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे ।
2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद के नियम विनियम अनुरूप निर्धारित संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त योग्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा ।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी ।
4. शासन/परिषद की और से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
5. संस्था को उपरोक्त उल्लेखित समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि 19 सितम्बर, 2023 तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को अनिवार्य रुप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश, सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद, के नाम से राशि रूपये पाँच लाख का एफडीआर /सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता अवधि हेतु सुरक्षा निधि एफडीआर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर...